

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 22-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
668	तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.6549) दि. 22-03-2017 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	शिवपुरी जिले की जनपद पंचायत करैरा व नरवर में बिना मा.विधायक की अनुशंसा के निर्माण कार्यों को स्वीकृति देने की जांच व निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	हम इसका 15 दिन के अंदर परीक्षण करा लेंगे और जिसने गलत जानकारी दी होगी उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 22-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
669	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.6199) दि. 22-03-2017 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कूप पंपों तक विद्युत लाईनों के विस्तार के लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाकर अनुदान राशि स्वीकृत की जाना।	(1) हम इसका परीक्षण करवा लेंगे और अगर विधायक महोदया के कोई प्रस्ताव होंगे तो हम निर्देश जारी करेंगे कि वे कार्य स्वीकृत हों। (2) प्रस्ताव दे दें, मैं उसको स्वीकृत करवा दूंगा।		
670	अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.397) दि. 22-03-2017 (प्रो. संजीव छोटेलाल उडके)	मण्डला जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में सामग्री खरीदी में अनियमितता किए जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जाएगा।		
671	अतारांकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.4901) दि. 22-03-2017 (श्री रमेश पटेल)	अनूपपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 में जारी कार्यदेशों की राशियों का बिना कार्य किए भुगतान करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच व निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रक्रियाधीन है।		
672	अतारांकित प्रश्न सं.147 (प्रश्न क्रं.6509) दि. 22-03-2017 (श्री रामनिवास रावत)	शिवपुरी जिलान्तर्गत आदिवासी बस्तियों, मजरों/टोलों का विद्युतीकरण पंप के ऊर्जाकरण हेतु अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 09 कार्यों को स्वीकृति दिए जाने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रचलित है।		
673	अतारांकित प्रश्न सं.208 (प्रश्न क्रं.6898) दि. 22-03-2017 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत मान. न्यायालय के पारित निर्णय के पालन में विलंब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच व जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्यवाही की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

आयुष विभाग

दिनांक: 22-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
674	अतारांकित प्रश्न सं.129 (प्रश्न क्रं.6295) दि. 22-03-2017 (श्री रामेश्वर शर्मा)	आयुष विभाग अंतर्गत डॉ. जे.के गुप्ता को औषधालयीन चिकित्सीय पदस्थापना अवधि में अव्यवसायी भत्ते की पात्रता नहीं होने के बावजूद नियम विरुद्ध भुगतान किए जाने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन**

चिकित्सा शिक्षा विभाग

दिनांक: 22-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
675	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.568) दि. 22-03-2017 (श्री तरूण भनोत)	चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में बर्न यूनिट व ट्रामा यूनिट की यथाशीघ्र स्थापना की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
676	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.3578) दि. 22-03-2017 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर शहर स्थित महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय में भारतीय चिकित्सा परिषद् के नियम अनुसार अधीक्षक/उप अधीक्षक की नियुक्ति की जाना।	जी हों।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 22-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
677	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.699) दि. 22-03-2017 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	मंदसौर जिले की सीतामऊ जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. द्वारा नियम विरुद्ध परफार्मेंस गारण्टी राशि से विद्युत पंप, मोटर, केबल पाईप खरीदी की अनियमितता में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधि. 1993 के अनुसार कार्यवाही की जाना।	तीनों अधिकारियों के विरुद्ध फरवरी 2017 में विभागीय जांच संस्थित की गई है। अध्यक्ष, जनपद पंचायत, सीतामऊ के विरुद्ध म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के तहत कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक: 22-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
678	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.6581) दि. 22-03-2017 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	प्रदेश के अस्पतालों में महाराष्ट्र व तमिलनाडु की तर्ज पर आर्गन डोनेशन सोसायटी खोलने की कार्यवाही की जाना।	आर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाएं बनाने की कार्यवाही की जा रही है।		
679	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.2075) दि. 22-03-2017 (श्री कुंवर सिंह टेकाम)	सीधी जिलान्तर्गत विकासखण्ड कुसुमी/मझौली में भवन विहीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण व डॉक्टर्स के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) डॉक्टर प्राप्त होते ही हम प्राथमिकता के आधार पर डॉक्टर नियुक्त कर देंगे। (2) जैसे ही जमीन प्राप्त होती है, हम वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण शुरू करा देंगे।		
680	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.6243) दि. 22-03-2017 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	छतरपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित राशि के व्यय का अनुमोदन जनप्रतिनिधियों से लिया जाना व दवा खरीदी में हुई अनियमितता की जांच की जाना।	छतरपुर में बैठक बहुत शीघ्र करा लेंगे, यदि किसी प्रकार की अनियमितताएँ हैं तो मैं माननीय विधायक जी से व्यक्तिगत चर्चा कर लूंगा, यदि वे सही होंगी तो कार्यवाही कर देंगे।		
681	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.6806) दि. 22-03-2017 (पं. रमेश दुबे)	छिंदवाड़ा जिले में वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रखे गए कर्मचारियों के खाते पी.एफ. कटौती की राशि जमा न किए जाने की जांच व जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) जांच कमेटी के निर्णय आने के तत्काल बाद जो दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्यवाही की जाएगी। (2) जांच रिपोर्ट आने के तत्काल बाद।		
682	तारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.2022) दि. 22-03-2017 (श्री गिरीश गौतम)	रीवा शहर के पंजीकृत संचालित नर्सिंग होम में मेडीकल अपशिष्ट निवारण की व्यवस्था न होने की जांच प्रदूषण निवारण मण्डल से कराई जाना।	उसका परीक्षण करा लेंगे।		
683	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.3492) दि. 22-03-2017 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	रीवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा द्वारा जननी एक्सप्रेस का ठेका ब्लेक लिस्टेड फर्म को देने एवं प्रसूताओं के लिए सामग्री खरीदी में की गई अनियमितताओं की जांच कर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) जी हों, डॉ. पी.के. चतुर्वेदी, संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रीवा संभाग रीवा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जांच की जा रही है एवं जांच प्रक्रिया प्रचलन में है। (2) जी हों।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
684	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.85 (प्रश्न क्रं.6030) दि. 22-03-2017 (श्री सचिन यादव)	ग्राम बोरावां, उप स्वास्थ्य केन्द्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संस्था उन्नयन के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दी जाकर भवन निर्माण की कार्यवाही की जाना।	परियोजना परीक्षण समिति में प्रक्रियाधीन है।		
685	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.97 (प्रश्न क्रं.6324) दि. 22-03-2017 (श्रीमती शीला त्यागी)	कमिश्नर रीवा के जांच प्रतिवेदन पत्र क्र. 6:विकास/2014/1977 रीवा, दिनांक 3.4.14 में दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच संस्थित कर, जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) विभागीय जांच संस्थित की गई जो प्रचलन में है। (2) समस्त बिन्दुओं पर जांच संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।		
686	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.142 (प्रश्न क्रं.6805) दि. 22-03-2017 (पं. रमेश दुबे)	छिंदवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई अंतर्गत प्र.क्र. 2614, दिनांक 31.7.2015 के संदर्भ में की गई वित्तीय अनियमितता की जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन विकासखण्ड अधिकारी, डॉ. प्रमोद वाचक से वसूली की जाकर, जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	रूपये 2,58,863/- के अभिलेख एवं वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के लिये, डॉ. प्रमोद वाचक से उक्त राशि की वसूली की जा रही है। विभागीय जांच के निष्कर्ष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।		
687	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.155 (प्रश्न क्रं.6883) दि. 22-03-2017 (श्री बाला बच्चन)	बड़वानी जिले में दीनदयाल चलित अस्पतालों में फर्जी डॉक्टर्स द्वारा सेवाएं देने एवं अस्पतालों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति की जांच व जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।		
688	अतारांकित प्रश्न सं.134 (प्रश्न क्रं.6327) दि. 22-03-2017 (श्रीमती शीला त्यागी)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सी.एम.एच.ओ. कार्यालय रीवा में प्राप्त बजट की राशि का विभिन्न कार्यों में दुरुपयोग किये जाने व कर्मचारियों की उक्त कार्यों में संलिप्तता पाए जाने के विरुद्ध जांच की जाकर जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (2) कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है तथा डॉ. एस.के. त्रिपाठी के विरुद्ध उन्हे आरोप पत्रादि जारी करते हुये कार्यवाही प्रचलन में है।		
689	अतारांकित प्रश्न सं.140 (प्रश्न क्रं.6428) दि. 22-03-2017 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	कार्यालय सिविल सर्जन दतिया अंतर्गत स्टेशनरी की खरीदी कर देयक राशि का भुगतान व्यापारियों को न किए जाने के दोषियों के विरुद्ध जांच की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	लंबित देयकों का परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
690	अतारांकित प्रश्न सं.182 (प्रश्न क्रं.6742) दि. 22-03-2017 (श्री नारायण सिंह पँवार)	विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत सिविल अस्पताल ब्यावरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया, प्रा.स्वा.केन्द्र मलावर, नापानेरा, टोड़ी एवं समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में लंबे समय से रिक्त विशेषज्ञों, चिकित्सकों, महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति यथाशीघ्र की जाना।	जी हों। यथाशीघ्र।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 22-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
691	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.6029) दि. 22-03-2017 (श्री सचिन यादव)	खरगोन जिले के कसरावद विकासखंड अंतर्गत सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्यों एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्यों की स्वीकृति शीघ्र की जाकर कार्य पूर्ण कराए जाना ।	(1) जनपद के माध्यम से इस काम को जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा । बाकी जो दो काम हैं उसमें से एक शहरी क्षेत्र में आता है और एक पर परीक्षण कराया जा रहा है कि विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग के लोग वहाँ पर हैं कि नहीं । (2) 4 काम जल्दी से जल्दी कर दिये जाएंगे ।		
692	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.105 (प्रश्न क्रं.6409) दि. 22-03-2017 (श्री गिरीश भंडारी)	प्रश्न क्र. 79, दिनांक 18.7.2016 के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला नरसिंहगढ़ द्वारा ग्राम हुलीखेड़ा में आवासों में की गई अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध जांच संस्थित कर जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही व राशि वसूल की जाना ।	राशि वसूली एवं विभागीय जांच के निर्देश जारी किए गए हैं ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 22-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
693	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.902) दि. 22-03-2017 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा)	देवास जिले की सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत टोंककला में हायर सेकेण्ड्री स्कूल के भवन निर्माण को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना।	पूरा परीक्षण करके और वर्तमान में कितना पैसा लगेगा इसकी जानकारी हमने सात दिन के अंदर बुलाई है। मैं कह रहा हूँ कि एक साल में बिल्डिंग बन जाएगी।		
694	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.2319) दि. 22-03-2017 (कुँवर विक्रम सिंह)	छतरपुर जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों की वार्डन द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच व 3 वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर होने के कारण स्थानांतरण किया जाना।	हम उस वार्डन को तत्काल प्रभाव से वहां से हटा रहे हैं। मैं आज ईशानगर की वार्डन को भी हटा रहा हूँ और नियम भी बनाए जा रहे हैं कि 3 साल से ज्यादा कोई भी वार्डन अब मध्यप्रदेश के किसी भी कस्तूरबा गांधी छात्रावास में नहीं रहेगी।		
695	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.1677) दि. 22-03-2017 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सतना जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-19 का उल्लंघन/अनियमितता करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	इसकी विभागीय जांच करवाकर कठोर से कठोर सजा देंगे।		
696	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.1678) दि. 22-03-2017 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सतना जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1159, दिनांक 1.3.2016 में अनियमितता के दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों पर जांच प्रतिवेदन के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाना।	प्रतिवाद प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
697	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.93 (प्रश्न क्रं.6283) दि. 22-03-2017 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जबलपुर जिलान्तर्गत शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता समाप्त होने व स्कूल बंद होने पर भी 25% फीस की प्रतिपूर्ति के नियम विरुद्ध भुगतान की वसूली एवं दोषी अधि./कर्मचारियों के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन के गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच उपरांत दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
698	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.107 (प्रश्न क्रं.6436) दि. 22-03-2017 (श्री जितू पटवारी)	प्रदेश के प्रायवेट विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से मनमानी फीस वसूलने व विद्यालयों द्वारा तय दुकानों से पालकगणों को बाध्यकर गणवेश क्रय पर रोक लगाने हेतु फीस नियामक आयोग का गठन किया जाना ।	फीस में अनियमित वृद्धि तथा अन्य अनुषांगिक विषयों में नियमन हेतु अधिनियम बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।		
699	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.6447) दि. 22-03-2017 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिला अंतर्गत माध्यमिक शालाओं के स्वीकृत भवनों का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाना एवं जिन शालाओं के भवनों का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुआ उनके दोषियों से राशि वसूल की जाकर, पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृति दी जाना व उनके भवन निर्माण कराए जाना ।	एजेंसी से मय ब्याज की राशि वसूल की जाकर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर भवन निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रचलित है ।		
700	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्रं.6448) दि. 22-03-2017 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिला अंतर्गत निर्माण एजेंसियों की उदासीनता के कारण भवनों का निर्माण न हो पाने की दोषी निर्माण एजेंसियों से मय ब्याज के राशि वसूल की जाकर पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृति दी जाकर शाला भवनों का निर्माण कराया जाना ।	एजेंसी मय ब्याज के राशि वसूल की जाकर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर भवन निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रचलित है ।		
701	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.112 (प्रश्न क्रं.6489) दि. 22-03-2017 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिलान्तर्गत स्वीकृत शेष विद्यालयों हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही शीघ्र की जाकर शाला भवनों का निर्माण कराया जाना।	शेष 05 विद्यालयों में से भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है ।		
702	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.115 (प्रश्न क्रं.6527) दि. 22-03-2017 (डॉ. मोहन यादव)	उज्जैन जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित बालिका छात्रावासों व कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कार्यरत वार्डनों द्वारा अनियमितताएं किए जाने के विरुद्ध संस्थित जांच पूर्ण कर, जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	विभागीय जांच वर्तमान में प्रचलन में है ।		
703	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.125 (प्रश्न क्रं.6661) दि. 22-03-2017 (श्री अमर सिंह यादव)	राजगढ़ जिलान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के तहत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर गुरुजियों को शिक्षाकर्मी के समान सहा. अध्यापक पद का वेतनमान स्वीकृत किए जाने के दोषियों के विरुद्ध जांच कर, जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	त्रुटिपूर्ण किये गये भुगतान के लिये कलेक्टर राजगढ़ को जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये गये हैं । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
704	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.131 (प्रश्न क्रं.6697) दि. 22-03-2017 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा नगर की पिपलौदा एवं जावरा तह. अंतर्गत आमजनों/जनप्रतिनिधियों से नवीन शालाएं प्रारंभ किए जाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दी जाना ।	प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है ।		
705	अतारांकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.6021) दि. 22-03-2017 (श्रीमती सरस्वती सिंह)	रीवा जिले के शास. उच्च. मा. विद्यालय पुरौना में अनु.जाति/अनु.जनजाति के छात्र-छात्राओं को फर्जी छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरण किए जाने के दोषियों के विरुद्ध जांच संस्थित कर जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	(1) जांच प्रक्रियाधीन है । (2) वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (3) उत्तरांश (ख) अनुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी ।		
706	अतारांकित प्रश्न सं.122 (प्रश्न क्रं.6220) दि. 22-03-2017 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	जबलपुर शहर स्थित राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के दो व्याख्यताओं द्वारा अपनी सेवा पुस्तिकाओं में कांट-छांट कर गलत प्रविष्टियां कराए जाने के दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना ।	दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।		
707	अतारांकित प्रश्न सं.159 (प्रश्न क्रं.6596) दि. 22-03-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	रीवा जिलान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के तहत सहा.ग्रेड-2 को गणक के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति दिए जाने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना ।	संबंधित का प्रतिवाद प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
708	अतारांकित प्रश्न सं.174 (प्रश्न क्रं.6677) दि. 22-03-2017 (श्रीमती सरस्वती सिंह)	सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चितरंगी के क्योटली हाईस्कूल के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर स्थानीय विधायक को आमंत्रित नहीं किए जाने व शिलालेख पर नाम अंकित नहीं कराए जाने के दोषी अधिकारी पर कार्यवाही की जाना ।	आवश्यक जांच करा कर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।		
709	अतारांकित प्रश्न सं.189 (प्रश्न क्रं.6763) दि. 22-03-2017 (श्री मुकेश पण्ड्या)	प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शेष रहे विद्यालयों को नवीन/नवीनीकरण की मान्यता हेतु आवेदन के लिए पोर्टल प्रारंभ किया जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
710	अतारांकित प्रश्न सं.194 (प्रश्न क्रं.6827) दि. 22-03-2017 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	अनूपपुर जिलान्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिए हायर सेक्रेण्ट्री/हाईस्कूल के अनु.जा./जनजाति के शेष छात्र-छात्राओं को ऑनलाईन छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाना ।	शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है । छात्रवृत्ति वितरण नहीं करने के लिए उत्तरदायी प्राचार्य/आहरण वितरण अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
711	अतारांकित प्रश्न सं.197 (प्रश्न क्रं.6855) दि. 22-03-2017 (श्री हर्ष यादव)	रायसेन जिलान्तर्गत वर्ष 1973-74 एवं 1974-75 में नियुक्त शाला शिक्षकों को मा.न्यायालय के निर्देशानुसार नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतन प्रदान किया जाना ।	भुगतान की प्रक्रिया प्रचलन में है ।		